

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
3090 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
3090, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3953/76/एक/एबीएमवीवीआई/2013-14, दिनांक 14 जनवरी, 2015 व संख्या-1935/76/एक/एबीएमवीवीआई/2013-14, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-पीलीभीत की न0पा0परि0, बीसलपुर एवं न0पा0, बिलसण्डा की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 14 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-1733/69-1-2013-42(बजट)/2013, दिनांक 13 जनवरी, 2014 द्वारा रू0 423.57 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू0 211.785 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट से उक्त परियोजना में से न0पा0परि0, बीसलपुर एवं न0पा0, बिलसण्डा की 07 परियोजना के कार्यो को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू0 117.195 लाख (रुपये एक करोड़ सत्रह लाख अठ्तीस हजार पांच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहाय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-327/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

जी.पी.सी. / श्री. अनुप, पी०

72
प/म/15

3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट भूद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मात्रक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रशस्तगत परियोजना को जिला स्तरीय शशी निष्काय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/भूद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक देश में उसी कार्य/भूद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यापारिक अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किया जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अंतिम करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रशस्तगत परियोजनाओं के माध्यमों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा इसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्वीच को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
10. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अंतिम करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पावे, अन्वया की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. प्रशस्तगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दिसावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अधिकरण, 30प०, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय योजनाएं एवं नगरीय उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30 प० शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (सेवा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष इतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गब्दी वस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन वस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि का निर्माण-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे अदा जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
(संलग्न क्र. - 1 प्रतीक)

भवदीय
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-913/2015/2095(1)/69-1-2015 त्रिनिंक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इकाई), प्रथम, 3040, 20 सरोजनी नगर मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 3040, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 3040 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, पीसीभीत ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, 3040 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 3040 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3040, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 813/2015/2095/69-1-15-47(बजट)/2013, दिनांक 13 सितम्बर 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वाडें का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किरत के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	पीलीभीत	न०पा०५०, वीसलपुर	मो० ग्यासपुर, वाडें नं०-15 में पेवर्स ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (04 कार्य)	37.74	18.87
2.	तदैव	तदैव	मो० ग्यासपुर, वाडें नं०-19 में पेवर्स ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (06 कार्य)	35.12	17.56
3.	तदैव	तदैव	मो० ग्यासपुर, वाडें नं०-20 में पेवर्स ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (05 कार्य)	37.68	18.84
4.	तदैव	तदैव	मो० ग्यासपुर, वाडें नं०-20 में पेवर्स ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (12 कार्य)	37.72	18.86
5.	तदैव	तदैव	मो० ग्यासपुर, वाडें नं०-21 में पेवर्स ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (06 कार्य)	38.33	19.165
6.	तदैव	तदैव	मो० ग्यासपुर, वाडें नं०-21 में पेवर्स ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (01 कार्य)	12.42	6.21
7.	तदैव	न०पा०, विलसपडा	मो० आजादगंज, वाडें नं०-03 में पेवर्स ब्लाक रोड का निर्माण कार्य। (06 कार्य)	35.38	17.69
योग				234.39	117.195

(रुपये एक करोड़ सत्रह लाख 571 सौ मात्र)।

(एच०पी० सिंह)

विशेष सचिव।